

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- ई-33/नेत्र सहा0/रा0का0फा0न0-07039/2024/01-

दिनांक: 01-01-2025

आदेश

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.15 (1) एफडी/ रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुये श्री सुनील कुमार वर्मा नेत्र सहायक, सीएचसी अंता बारां को निम्नानुसार सेवा अवधि पूर्ण किये जाने पर एसीपी स्वीकृत किया गया था में राज्य सरकार आदेश क्रमांक एफ.15 (85) एफ.डी./ रूल्स/2017/जयपुर दिनांक 01.05.2023 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत कार्मिक के द्वारा दिनांक 01.10.2017 से संशोधित विकल्प पत्र प्रस्तुत किये जाने के कारण कार्मिक की निम्नानुसार संशोधित एसीपी स्वीकृत की जाती है:-

क्र. सं.	नाम कर्मचारी व पद एवं पदस्थापन स्थान	राज्य सेवा/संवर्ग में प्रथम नियुक्ति/ कार्यग्रहण तिथि	एसीपी देय तिथि व सेवा पूर्ण अवधि	पूर्व में स्वीकृत एसीपी (पे मेट्रिक्स लेवल)	संशोधित देय पे ग्रेड/देय पे वेतन श्रृंखला
1	श्री सुनील कुमार वर्मा, नेत्र सहायक सीएचसी अंता बारां	18.09.2008	18.09.2017 09 वर्ष	लेवल-06	(5200-20500) ग्रेड पे-2800

उक्त कर्मचारियों का वेतन निर्धारण एसीपी स्वीकृति के फलस्वरूप संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा पृथक से किया जावेगा।

निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर

दिनांक: 01-01-2025

क्रमांक :- ई-33/नेत्र सहा0/रा0का0फा0न0-07039/2024/01  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संबंधित नियंत्रण अधिकारी, ।
2. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करे।
3. संबंधित कार्मिक को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. आदेश/निजी पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर

Document certified by RAKESH KUMAR SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh Kumar Sharma  
Designation: Director  
Date :24-12-2024 06:21:21

E:\N.G./2020-2021\LT TLT Work 2021\ACP 2023/LT,DT,LA, ECG